वं महालेखा परीक्षक (कैग) ने हा है कि 36 लड़ाकू राफेल लिए राजग सरकार ने जो सौदा ों की खरीद के लिए 2007 में संप्रग सरकार की वार्ता पेशकश फीसदी सस्ता है। कैग की रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में कैग के लिहाज से किए गए संवर्द्धन दा 17.08 फीसदी सस्ता है। सार, इंजीनियरिंग संबंधी पैकेज ार पर हर तरह के साजो सामान दा हालांकि 6.54 फीसदी महंगा हा गया है कि राजग सरकार के सौदा, 2007 में तत्कालीन संप्रग स सौदे पर हुई वार्ता पेशकश की शत सस्ता है। यह रिपोर्ट मोदी हुत राहत देने वाली है क्योंकि विपक्षी दल सरकार पर राफेल कर लगातार आरोप लगाते रहे हैं संसदीय समिति से जांच कराने । संसद के बजट सत्र में भी यह छाया रहा और इसकी वजह से हुई। केंद्र ने हालांकि इस बारे ाये गये आरोपों को लगातार

रिपोर्ट में तथ्य छिपाये गये, रिपोर्ट को दुरुस्त करने की जरुरत : रक्षा संबंधी संसद की परामर्श समिति के सदस्य और कांग्रेस सांसद प्रदीप भट्टाचार्य ने लड़ाकू विमान राफेल की खरीद के मामले में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट को अधूरी बताते हुये कहा है कि इसे अभी दुरुस्त किये जाने की जरूरत है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य भट्टाचार्य ने बुधवार को संसद में कैग की रिपोर्ट पेश होने के बाद कहा ''रिपोर्ट को एक नजर देखने के बाद फौरी तौर पर ऐसा लगता है कि सौदे का सही आंकलन हुआ ही नहीं है। सही आंकलन क्यों नहीं हुआ...., मुझे लगता है कि कुछ तथ्यों को छुपाने के लिये कोई बंदोबस्त हुआ है।'' उन्होंने सरकार पर तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाते हुये कहा ''या तो रक्षा मंत्रालय द्वारा पूरे दस्तावेज कैग के पास नहीं पहुंचाये गये या दस्तावेज पूरे पहुंचने के बाद भी तथ्यों को क्यों छुपाया गया, यह हमारी समझ से परे है। ऐसे में मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट को थोड़ा दुरुस्त करना जरूरी है।''

भट्टाचार्य ने कहा कि अभी उन्हें पूरी रिपोर्ट देखने का मौका नहीं मिला है, लेकिन फौरी तौर पर इसे देखने से साफ लगता है कि राफेल सौदे को लेकर इसमें पूरे तथ्य समाहित नहीं हो पाये हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि इसमें लड़ाकू विमान की कीमत का उपयुक्त जिक्र नहीं है।

बजट को पारित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई। इससे पहले लोकसभा ने वित्त विधेयक-2019 को मंजूरी देते हुए 2019- 20 के अंतरिम बजट को पारित करने की प्रक्रिया मंगलवार को पूरी की थी।

राज्यसभा में 13 दिन के बजट सत्र में काई कामकाज नहीं हुआ। इस दौरान विपक्षी दलों ने रोजाना किसी न किसी मुद्दे पर हंगामा करते हुये सदन की कार्यवाही को स्थगित किया। राफेल लड़ाकू विमान सौदे से लेकर नागरिकता विधेयक तक विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष राज्यसभा की कार्यवाही को बाधित करता रहा।

राज्यसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन बुधवार को राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे पर आम सहमति बन गई कि राष्ट्रपति के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने पर धन्यवाद प्रस्ताव और अंतरिम बजट को बिना चर्चा के ही मंजूरी दे दी जाये। राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडु ने आमसहमति के बारे में सदन को जानकारी दी। इससे पहले समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा किया जिससे राज्य की कार्यवाही 40 मिनट तक के लिये स्थगित करनी पड़ी थी। वित्त राज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ला ने विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक राज्यसभा में पेश किया जिसे बिना चर्चा के ही ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री विजय गोयल ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को बिना चर्चा के ही मंजूरी देने की सदन से अपील की और इसे भी सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।

फॉर्म नं. एनसीएलटी 3ए
विज्ञापन की विवरण याचिका
(नियम 35 देखिए)
राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण के समक्ष,
जयपुर पीठ में
कंपनी याचिका नं. सी.पी. (सीएए)
88/230-233/जेपीआर/2018
कंपनी अधिनियम 2013 के मामले में
और
योजना की व्यवस्था के मामले में
जयसुख डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
(ट्रांसफरर कंपनी नं. 1)
और
स्काईव्यू टाई अप प्राईवेट लिमिटेड
(ट्रांसफरर कंपनी नं. 2)
और
बैद लीजिंग एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड
(ट्रांसफरी कंपनी)
उनके सम्मानित शेयरधारकों एवं लेनदारों के साथ
याचिका की सूचना
जयसुख डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, स्काईव्यू टाई अप प्राईवेट लिमिटेड और बैद लीजिंग एण्ड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230-232 के तहत एक याचिका 13 नवम्बर 2018 को प्रस्तुत की गई और उक्त याचिका 28 मार्च 2019 को माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की जयपुर पीठ के समक्ष सुनवाई हेतु निर्धारित है। उक्त याचिका के संदर्भ का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, उसके इरादे की सूचना, उसके या उसके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित, उसके नाम और पते के साथ भेजी जानी चाहिए। उक्त दस्तावेज याचिका की सुनवाई के लिए तय तारीख से दो दिन पहले याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के पास पहुंच जाने चाहिए। जहां वह याचिका का विरोध करना चाहता है, विरोध का आधार या उसके हलफनामे की एक प्रति इस तरह के नोटिस से सुसज्जित होगी। कोई भी व्यक्ति याचिका की प्रति प्राप्त करने के लिए अधोहस्ताक्षर को निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त कर सकता है।
दिनांक: 13.02.2019 अमोल व्यास
(याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता)
पता: ई-708, जीएफ,
नकुल पथ, लालकोठी स्कीम, जयपुर-302015

जरिये केरल में निवेश क्लीयरेंस एक माह में

कोचिं/एजेंसी। केरल सरकार ने इनवेस्ट केरल गाइड प्रस्तुत की है, जिसके जरिये राज्य में निवेश को बढावा देने के लिए अनेक